FIRST INFORMATION REPORT

1. What is an FIR?

Ans. The First Information Report regarding commission of a cognizable offence is referred to as FIR. It is recorded by the police in register prescribed for that purpose by the State Government.

2. Who can lodge an FIR?

Ans. Any person who is victim of an offence or who is a witness to any such offence or who has knowledge about the commission of any such offence can lodge an F.I.R.

3. Difference between DDR and FIR?

Ans. First Information Report recorded by police regarding cognizable offence is referred to as FIR while the other reports recorded in daily diary register are referred as DDR.

4. What remedies are available in case of refusal by the police to record FIR?

Ans. In case of refusal by official at police station to record FIR, a written complaint can be sent by post to the Superintendent of Police concerned. The complainant can also directly approach the Judicial Magistrate having jurisdiction and file a complaint regarding the offence before the said Magistrate. The Magistrate can direct the police to investigate the case.

5. Whether the informer has to be present in person before the police for registration of FIR? Whether FIR can be got recorded on telephone, or through e-mail?

Ans. The FIR can be got recorded on telephone or even through e-mail and it is not necessary for the informer to be present personally before the police for registration of FIR.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है ?

उतर न्यायिक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी वह अपराध या अपराधिक घटना जिसमें कानून के तहत सजा/जुर्माना हो सकता हो और ऐसी किसी भी अपराधिक घटना या अपराध के बारे सूचना प्राप्त होने पर जो मुकदमा दर्ज होता है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। जो कि राज्य सरकार के कानून के अनुसार विदित रजिस्टर में पुलिस कर्मी या अफसर द्वारा दर्ज किया जाता है।

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज करवा सकता है ?

उतर कोई भी वह व्यक्ति जो किसी भी अपराधिक घटना में त्रस्त हुआ हो अर्थात जिसके साथ कोई घटना घटित हुई हो या वह व्यक्ति जिसने इस प्रकार की किसी भी अपराधिक घटना को घटित होते देखा हो या किसी भी घटना के घटित होने बारे जानकारी रखता हो ऐसे व्यक्ति विशेष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है।

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट व दैनिक डायरी में क्या अन्तर है?

उतर न्यायिक कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा/जुर्माना होने वाली किसी भी घटना बारे प्राप्त होने वाली सूचना पर पुलिस अधिकारी द्वारा भेजी जाने वाली सूचना पर जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते है जबकि अन्य किसी प्रकार की घटनाओं को दैनिक रजिस्टर में दर्ज होने को दैनिक डायरी रिपोर्ट कहते हैं।

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस द्वारा इन्कार करने पर अन्य क्या–क्या तरीके मुकदमा दर्ज करने के बारे में होते है ?

उतर पुलिस थाना में पुलिस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा मुकदमा/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने पर, एक लिखित शिकायत/दरखास्त सम्बन्धित पुलिस अधिक्षक को डाक द्वारा भेजी जा सकती है। शिकायत को सम्बन्धित न्यायिक ईलाका मैजिस्ट्रेट/जज/न्यायिक अधिकारी के सामने भी पेश किया जा सकता है तथा उनके सामने एक लिखित शिकयत याचिका भी उस अपराध बारे दायर की जा सकती है। वह न्यायिक अधिकारी/जज, पुलिस को उस केस की छानबीन/तहकीकात/जाँच करने का आदेश दे सकता है।

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मुदई/सूचनादाता का पुलिस के सामने उपस्थित होना आवश्यक है या नहीं ? या क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दूरभाष/टेलीफोन या ई–मेल/बेतार संदेश द्वारा भी दर्ज करवाई जा सकती है ?

उतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दूरभाष या ई–मेल/बेतार संदेश द्वारा भी शिकायतकर्ता/मुदई द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है, उस शिकायतकर्ता/मुदई का पुलिस के सामने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उपस्थित होना जरूरी नहीं है।

6. What are the benefits of early recording of FIR?

Ans. The FIR should be got recorded as early as possible, after the offence in questions. The early recording of FIR helps in the arrest of the real offenders and also helps in the collection of evidence of the crime. The version given in the FIR recorded without undue delay is considered more reliable by the Courts. Delay in reporting the matter to the police can raise suspicion that the version may be colored or concocted or an exaggerated account of the incident or innocent persons may have been roped in. The reason for delay should also be explained in the F.I.R.

7. Whether FIR can be got recorded at any police station irrespective of where the offence took place.

Ans. Yes, the FIR can be got recorded at any police station, irrespective of where the offence took place.

8. Whether the complainant is entitled to get the copy of FIR free of charges?

Ans. Yes, complainant is entitled to get a copy of FIR, free of charges.

प्रश्न प्रथम सूचना रिपोर्ट को तुरन्त दर्ज करवाने के क्या फायदे होते हैं ?

उतर अपराध/घटना के घटित होते ही तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिऐ तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने से असल अपराधी को गिरफ्तार/पकड़ने में सहायता मिलती है और घटना/अपराध से सम्बन्धित साक्ष्यों को एकत्रित करने में सहायता मिलती है। बिना किसी देरी के प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज/दिए गऐ तथ्यों जो कि उसमे दर्ज किए गऐ होते हैं को न्यायालय द्वारा ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। देरी से रिपोर्ट दर्ज करवाने पर ज्यादा शंका/शक उठाए जा सकते हैं कि घटना से सम्बन्धित दिए गये तथ्य नकली, झूठे तैयार किए हुए या घटना से सम्बन्धित ना हैं या किसी बेगुनाह व्यक्ति को घटना में फंसाया ना जा रहा हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का कारण भी लिखवाया जाना चाहिए।

प्रश्न क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट, जहाँ पर घटना घटित हुई है उस क्षेत्र से सम्बन्धित पुलिस स्टेशन/थाना के अतिरिक्त अन्य किसी थाना/पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई जा सकती है?

उतर जी हाँ ! प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी थाना में दर्ज करवाई जा सकती है। उस थाना में भी दर्ज करवाई जा सकती है जहाँ पर दोषी गिरफ्तार होता है।

प्रश्न क्या शिकायतकर्ता/मुदई प्रथम सूचना रिपोर्ट की कापी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है?

उतर जी हाँ ! मुदई/शिकायतकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट की कापी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।